पटना उच्च न्यायालय के निर्णय अधिकार में
2011 की दीवानी रिट न्यायाधिकार के वाद सं. 8953
में
2018 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 400

==========

कांति कुमारी उर्फ कांति देवी, पत्नी- श्री ब्रजेंद्र प्रसाद यादव, ग्राम के निवासी-लाडपुर, पी. ओ. गुरुकुल मेहिया, थाना- गरखा, जिला-सारण।

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य और अन्य
2. प्रधान सचिव, बिहार पंचायती राज, पटना।
3. जिला मजिस्ट्रेट, छापरा।
4. खंड विकास अधिकारी, गरखा सदर, छापरा, छापरा।
5. जिला पंचायती राज अधिकारी, सारण।
6. सरपंच, गाँव कचहरी , महमदा।
7. श्री विनोद कुमार राय, पुत्र-श्री बनवारी राय, ग्राम के निवासी-लाडपुर, थाना- गरखा, जिला-सारण।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री सूरज समदर्शी
उत्तरदाता के लिए	:	श्री धीरेंद्र कुमार, ए.ए.जी. -6 के ए.सी
प्रत्यर्थी सं. 7 के लिए	:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, अधिवक्ता

==========

बिहार पंचायती राज अधिनियम्, 2006- धारा 94(2) के साथ पठित धारा 146; ग्राम कचहरी सचिव योजना सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2007- नियम 5 (अ)।

भरोसा किया गया- किरण कुमारी और अन्य बनाम् बिहार राज्य, खंड पीठ 5 अप्रैल 2011 को निर्णित

निर्णित किया गया कि रिट याचिकाकर्ता आवेदन की तारीख को नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं था और बाद में नियम के संशोधन से वह प्रभावित नहीं हो सकती थी क्योंकि नियम 5 का संशोधन 05.01.2009 पर अधिसूचित होने के बाद लागू हुआ था। उक्त संशोधन ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव 31.01.2008 से होगा, जिसका अर्थ है कि 31.01.2008 से पहले की गई नियुक्ति को बाधित होने से बचाया गया था।

[पारा 17]

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायाधीश श्रीमती अंजना मिश्रा

मौखिक निर्णय

(प्रतिःमाननीय न्यायाधीश श्रीमति अंजना मिश्रा)

तारीख : 01-03-2019

अपीलार्थी कांति कुमारी ने इस अंतर-न्यायालयीय अपील दायर की है जिसमें 2011 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 8953 में एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 26.02.2018 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत रिट याचिकाकर्ता की सचिव, ग्राम कचहरी के पद पर उनकी नियुक्ति को समाप्त करने के लिए रखी गई चुनौती को दिनांक 20.03.2011 के पत्र के माध्यम से रद्द कर दिया गया था।

2. जिन संक्षिप्त तथ्यों के कारण यह मामला दाखिल किया गया यह है किः-

ए) याचिकाकर्ता ने बिहार माध्यम संस्कृत शिक्षा बोर्ड को पारित करने के बाद सचिव, ग्राम कचहरी के पद के लिए आवेदन किया, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 94 (2) के तहत शक्ति के प्रयोग में किया गया है, जिसे बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 146 के साथ पढ़ा जाता है। इसके लिए नियम ग्राम कचहरी सचिव योजना सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली, 2007 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) बनाए गए थे।

बी) याचिकाकर्ता के आवेदन की जांच खंड विकास अधिकारी द्वारा की गई थी, जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से माध्यम की योग्यता की वैधता के बारे में पूछताछ की थी। जिला मजिस्ट्रेट ने बदले में निदेशक, पंचायती राज से पूछा कि क्या संस्कृत

शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को सचिव, ग्राम कचहरी के पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से मैट्रिक माना जा सकता है।

सी) पंचायती राज निदेशक ने दिनांक 10.10.2007 के पत्र संख्या 4808 के माध्यम से स्पष्ट किया कि उक्त नियमों के खंड 5 (ए) में प्रावधान है कि सचिव, ग्राम कचहरी के उद्देश्य के लिए केवल एक मैट्रिक किए हुए पर विचार किया जा सकता है।

डी) इस प्रकार, अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी, हालांकि उसे ग्राम पंचायत द्वारा सचिव के पद पर विचार के लिए तैयार किए गए पैनल के क्रम संख्या 1 में रखा गया था, ग्राम कचहरी को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि उसके पास माध्यमिक का प्रमाण पत्र था जिसे मैट्रिक के बराबर नहीं माना जा सकता है।

ई) इसने अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को 2007 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 15636 दाखिल करने के लिए प्रेरित किया, जिसका निपटान दिनांकित 10.03.2010 के एक आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि इस मुद्दे पर 2007 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 13905 में पहले ही निर्णय ले लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि माध्यम की योग्यता मैट्रिक के बराबर थी। इस प्रकार, न्यायालय ने 2007 की सं. 13905 में दिए गए निर्णय के आलोक में प्रत्यर्थियों को एक तर्कपूर्ण आदेश के माध्यम से उनके प्रतिनिधित्व का निपटारा करने के निर्देश के साथ रिट आवेदन का निपटारा कर दिया।

एफ) अपीलार्थी कांति कुमारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर आदेशों के अनुसरण में, प्रतिवादी सं. 7, बिनोद कुमार यादव की नियुक्ति में बाधा डाली गई थी और इसलिए उन्होंने 2009 की सं. 1823 (बिनोद कुमार यादव बनाम। बिहार राज्य और अन्य) जिसमें इस न्यायालय ने पूरे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित शर्तों में आदेश पारित किएः-

> “ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वव्यापी प्रभाव का मुद्दा जिसमें कार्यकारी आदेश की वैधता में संशोधन किया गया है एवं क्या 2009 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं 6762 में इसकी अनुमति है। की विधायी संशोधन

क्या यह अनुज्ञेय है एवं सादृश्य वाद इसी संदर्भ के साथ किया गया है।"

3. यहाँ यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि 2009 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6762 वाले एक अन्य रिट आवेदन में, इस न्यायालय ने 2007 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 13905 में निर्णय के संदर्भ में इस संबंध में कानून घोषित किया था। 2007 के उक्त सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 13905 को संतोष कुमार पांडे द्वारा पसंद किया गया था, जो इसी तरह अपनी मध्यम योग्यता के कारण नियुक्ति से इनकार करने से व्यथित थे। इस न्यायालय ने 31.01.2008 को दिनांकित 11.01.1999 के एक सरकारी नीतिगत निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि मध्यम मैट्रिक के समकक्ष था और तदनुसार अपने मामले पर विचार करने का निर्देश दिया। उपरोक्त घोषणा के अनुसार, राज्य विधानमंडल ने मैट्रिक के बाद "या समकक्ष" शब्द को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त नियमों के नियम 5 में एक विधायी संशोधन किया। संशोधन को 31.01.2008 के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 05.01.2009 पर अधिसूचित किया गया था। यहाँ यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि संशोधन अधिनियम के नियम 1 (3) में एक बचत खंड है जो 31.01.2008 से पहले की गई नियुक्तियों को संरक्षित करता है।

4. सी.डब्ल्यू.जे.सी वाले एक अन्य रिट आवेदन में आदेश दिनांकित 30.08.2010 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नवत अभिनिर्धारित किया हैः-

"यह एक स्थापित कानून है कि एक विधायी संशोधन को किसी भी कार्यकारी आदेश द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। यदि विधानमंडल अपने विवेक से एक कट-ऑफ तिथि 31.1.2008 के रूप में निर्धारित करना उचित समझता है और जिसे यह न्यायालय न्यायालय द्वारा घोषणा की तारीख के आधार पर बेहद उचित मानता है, तो कोई भी कार्यकारी आदेश "मध्यमा " को 31.1.2008 से पहले सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए एक स्वीकार्य योग्यता नहीं बना सकता है। विधायी संशोधन का आह्वान करके 31.1.2008 से पहले " मध्यमा " योग्यता के आधार पर आवेदन करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विचार करने का कोई भी निर्देश पूरी तरह से कानून के विपरीत है।

5.1.2009 को अधिसूचित संशोधन में निहित बचत खंड को देखते हुए, सी.डब्ल्यू.जे.सी सं. 5274/10 और 594/10 में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 31.1.2008 से बहुत पहले की गई थी, जिसे संशोधन द्वारा ही सुरक्षित रखा गया है। जहाँ तक सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं.1791/10 में याचिकाकर्ता की नियुक्ति का संबंध है, नियुक्ति पत्र 29.1.2008 को जारी किया गया है और वह ऐसी नियुक्ति के लिए दिए गए समय के भीतर शामिल हो गई है, वही तारीखें 29.1.2008 की हैं और उसके द्वारा 31.1.2008 को शामिल होना स्पष्ट रूप से आकस्मिक है और उसे अन्य दो याचिकाकर्ताओं से अलग श्रेणी में नहीं रखता है। इसलिए यह न्यायालय मानता है कि निजी उत्तरदाताओं को समायोजित करने के लिए याचिकाकर्ताओं को हटाने को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है। विधायी संशोधन को केवल 31.1.2008 से ही इसका सही और कानूनी प्रभाव दिया जाना चाहिए। कार्यान्वित आदेश द्वारा एक विधायी संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से समझना चाहिए। इसलिए यह निर्णय अभिनिर्धारित करता है कि याचिकाकर्ताओं के बहिर्गमन को इसका सत्य एवं कानूनी प्रभाव 31.1.2008 से था।"

5. एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य के लिए, अधिसूचना दिनांक 05.01.2009 के माध्यम से त्वरित नज़र डालना उचित होगा, जिसके द्वारा नियम बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 को सचिव, बिहार ग्राम कचहरी (रोजगार, सेवा शर्तें और कर्तव्य) नियम, 2007 दिनांक 05.01.2009 के रूप में संशोधित किया गया था, जिसे नीचे निकाला गया हैः-

"5 जनवरी 2009

संख्या 2पी/वी 6-102/2007 पीआर/28 बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6,2006) की धारा- 146 के साथ पठित धारा-94 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल ने सचिव, बिहार ग्राम कछारी (रोजगार, सेवा शर्तें और कर्तव्य) नियम, 2007 में संशोधन किया है:-

1. *संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभः*- (1) ये नियमों को सचिव, बिहार ग्राम कछारी (रोजगार, सेवा शर्तें और कर्तव्य) (संशोधन) नियम, 2008 कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा।

> (3) यह डब्ल्यू. ई. एफ. 31.01.2008 से लागू होगा। सचिव, बिहार ग्राम कछारी (रोजगार, सेवा शर्तें और कर्तव्य) नियम, 2007 के तहत इस तारीख से पहले की गई नियुक्तियों का इस संशोधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
>
> 2. उप-नियम 5 (ए) (ii) में "माध्यमिक (मैट्रिक) "शब्दों के बाद" या "राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर" उपरोक्त प्रमाण पत्र के समकक्ष घोषित प्रमाण पत्र "शब्द जोड़े जाएंगे।
>
> बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
>
> ह०/- अपठनीय,
>
> सरकार के प्रधान सचिव"

6. ऐसा प्रतीत होता है कि सचिव, बिहार ग्राम कचहरी (रोजगार, सेवा शर्तें और कर्तव्य) नियम, 2007 दिनांक 05.01.2009 के नियम 5 (ए) (ii) में किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई थी, जिसकी सुनवाई 2010 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 1996 (किरण कुमारी और अन्य) बनाम बिहार राज्य और अन्य) जिसमें उपरोक्त नियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के *अंतर्गत अधिकार* माना गया था। न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों में अभिनिर्धारित कियाः-

> "हम श्री पांडे द्वारा दिए गए तर्क में कोई सार नहीं देखते हैं। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि मौजूदा नियम 5 (का) (2) में मैट्रिक के अलावा किसी अन्य योग्यता की परिकल्पना नहीं की गई थी; यहां तक कि एक समकक्ष योग्यता भी नहीं। 5 जनवरी 2009 की विवादित अधिसूचना 31 जनवरी 2008 से प्रभावी उक्त नियम में संशोधन करती है, यानी 31 जनवरी 2008 से प्रभावी, न केवल मैट्रिक के छात्रों बल्कि समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को भी ग्राम कचहरी के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया है। किस तारीख से नियम को प्रभावी बनाया जाना चाहिए, यह नीति का विषय है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाला यह न्यायालय राज्य के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

7. 2009 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6762 में पारित आदेश का एक उद्धरण नीचे उद्धृत किया गया हैः-

“एक व्यक्ति जिसके पास “मध्यमा” योग्यता हो, ऐसा प्रतीत होता है कि "मध्यम" का 2007 केसी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 13905 में इस न्यायालय में यह दावा करते हुए आया था कि यह दिनांक 11.1.1999 के एक सरकारी निर्णय के तहत "मैट्रिक" के बराबर था, जो पात्रता की कमी के लिए उनके गैर-विचार से व्यथित था, जिसकी अनुमति 31.1.2008 को दी गई थी। इसके अनुसरण में, राज्यपाल की कलम के तहत पंचायत राज विभाग में राज्य सरकार ने ग्राम कछारी सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए माध्यमिक के समकक्ष योग्यता के रूप में माध्यमिक को स्वीकार करते हुए 31.1.2008 से प्रभावी 5.1.2009 को ग्राम कछारी नियमों में संशोधन किया। इस न्यायालय के कुछ आदेशों के परिणामस्वरूप 31.1.2008 को प्रभावी 5.1.2009 पर नियमों के संशोधन के अनुसार, पंचायत राज विभाग के सचिव ने 31.1.2008 से पहले भी सभी नियुक्तियों को रद्द करने के निर्देश देते हुए 6.1.2009 को आदेश जारी किए और योग्यता सूची को फिर से तैयार करने के बाद नई नियुक्ति का निर्देश दिया। इसके अनुसरण में याचिकाकर्ताओं के दिनांक 20.6.2009 के समाप्ति आदेशों का पालन किया गया है।

उत्तरदाताओं ने जवाबी हलफनामा दायर नहीं करने का फैसला किया है। यह न्यायालय इसके बाद पारित किए जाने वाले आदेश की प्रकृति को देखते हुए उस कारण से कार्यवाही को रोकने के लिए राजी नहीं है।

2007 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.13905 पहले से की गई नियुक्तियों से संबंधित नहीं था और न्यायालय ने उसी के संबंध में कोई घोषणा नहीं की।

प्रथम दृष्टया यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत करने में सार पाता है कि वैधानिक नियमों के विपरीत एक कार्यकारी आदेश द्वारा उनकी सेवाओं की समाप्ति टिकाऊ नहीं है। यदि वैधानिक नियम प्रभावी तिथि 31.1.2008 निर्धारित करते हैं, इसे किसी भी कार्यकारी आदेश द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह न्यायालय निर्देश देता है कि समाप्ति के विवादित आदेशों को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक कि इसके बाद निर्देशित तरीके से निर्धारण नहीं किया जाता है।

चूंकि रिट आवेदनों का निपटारा बिना जवाबी हलफनामे के किया जा रहा है, इसलिए यह न्यायालय पंचायत राज विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश देता है कि वे उपरोक्त चर्चा के आलोक में याचिकाकर्ताओं को बर्खास्त करने के मुद्दे पर फिर से निर्णय लें कि कार्यकारी आदेश वैधानिक नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं

और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/पेश करने की तारीख से अधिकतम तीन सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार एक तर्कपूर्ण और बोलने वाला आदेश पारित करें।

बर्खास्तगी का आदेश पंचायत राज विभाग के प्रधान सचिव द्वारा पारित किए जाने वाले ऐसे अंतिम आदेशों का पालन करेगा।

रिट आवेदन का निपटारा कर दिया गया है। ”

8. उपरोक्त घोषणाओं के आलोक में, जिसमें पूर्व और संशोधन के बाद दोनों निर्णय शामिल हैं, राज्य का तर्क स्पष्ट था कि इस माननीय न्यायालय ने कानून का निपटारा कर दिया था क्योंकि यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 31.01.2008 से पहले मध्यम योग्यता के आधार पर की गई कोई भी नियुक्ति, यदि कोई हो, सचिव, बिहार ग्राम कचहरी (रोजगार, सेवा शर्तें और कर्तव्य) (संशोधन) नियम, 2008 के प्रावधानों को देखते हुए वैध और कानूनी नहीं है।

9. प्रत्यर्थी-राज्य बिहार ने अपीलार्थी के दावे का विरोध और विरोध करते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जहाँ तक अपीलार्थी कांति कुमारी का संबंध है, प्रत्यर्थी ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी एक मध्यम योग्यता थी और उसने इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 7 की नियुक्ति के आदेश को चुनौती दी थी जो 31.01.2008 से पहले की गई उसकी नियुक्ति से संबंधित था, जिस तारीख को मैट्रिक एकमात्र योग्यता थी। 2009 के सीडब्ल्यूजेसी नंबर 6762 (महाबीर चौधरी बनाम बिहार राज्य) में दिए गए फैसले और सी.डब्ल्यू.जे.सी नंबर 1996/2010 (किरण कुमारी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य) में पारित दिनांक 05.04.2011 के खंड पीठ के फैसले के मद्देनजर प्रतिवादी बनाम अपीलकर्ता का मामला तय हो गया। .प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान परिदृश्य बदल गया है और नियम, 2007 को निरस्त कर दिया गया है और सचिव, बिहार ग्राम कचहरी (रोजगार, सेवा शर्तें और कर्तव्य) नियम, 2014 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी है। उक्त नियमों में, नियम, 2014 के नियम 5 (1) के तहत न्यूनतम शैक्षिक पात्रता योग्यता को राज्य सरकार द्वारा इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष योग्यता के रूप में लिखा गया है और इस प्रकार अपीलार्थी का दावा किसी भी योग्यता से रहित है।

10. प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, जो अपीलार्थी के समान विज्ञापन के लिए एक उम्मीदवार था, यह तर्क दिया गया था कि जबकि प्रत्यर्थी संख्या 7 के पास मैट्रिक की आवश्यक योग्यता थी, उसने 09.08.2007 पर आवेदन किया और परामर्श 25.09.2007 को किया गया था। रोजगार समिति द्वारा आयोजित दिनांक 16.01.2008 की बैठक में सभी प्रक्रियाओं को समाप्त करने के बाद, एक नंद किशोर का चयन किया गया और उसे शामिल होने के लिए दस दिन का समय दिया गया, लेकिन उक्त नंद किशोर ने 21.01.2008 पर शामिल होने के लिए अपना लिखित इनकार प्रस्तुत किया और इसके परिणामस्वरूप योग्यता-सूची से अगले आवेदक होने के नाते प्रतिवादी संख्या 7 को 28.01.2008 पर नियुक्ति के बारे में सूचित किया गया। उक्त तिथि पर, यानी 28.01.2008 को उन्हें अपना नियुक्ति पत्र मिला जो जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक-सी में मिलता है। प्रत्यर्थी संख्या 7 ने आगे आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने 28.01.2008 दिनांकित कार्यवाही पुस्तिका में किए गए पाठ में हेरफेर किया और "28.01.2008" तिथि की अंतिम पंक्ति में, '28' के अक्षर '2' को '0' बनाया गया था जबकि '1' महीने को '2' में परिवर्तित कर दिया गया था। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हालांकि, रिट याचिका के अनुलग्नक-4 में संलग्न कार्यवाही पुस्तिका में सरपंच के हस्ताक्षर "28.01.2008" बने रहने चाहिए। उपरोक्त कार्यवाही पुस्तिका के हेरफेर किए गए संस्करण को जवाबी शपथपत्र का अनुलग्नक-ए और ए/1 के रूप में दर्ज किया गया है। उपरोक्त अनुलग्नकों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त करने के बाद रिकॉर्ड में लाया गया है। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को 28.01.2008 को नियुक्त किया गया था, अनुलग्नक-ई से भी स्पष्ट है जो तत्कालीन सरपंच, ग्राम कचहरी महमूद, जिला-सारण द्वारा लिखा गया ज्ञापन संख्या 5 दिनांकित 31.08.2012 है, जिसके द्वारा खंड विकास अधिकारी, गरखा, सारण को सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता को 28.01.2008 को नियुक्त किया गया था। ग्राम कचहरी महमूद (गरखा) के कार्यालय से प्राप्त ज्ञापन संख्या 5 दिनांकित 31.08.2012 में निहित पत्र का एक उद्धरण नीचे दिया गया हैः-

"कार्यालय ग्राम कचहरी, महमदा (गड़खा)

पत्रांक 5 दिनांक 31.08.12

प्रेषकः सरपंच,

ग्राम कचहरी महमदा

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

गड़खा सारण।

विषय : सि० डब्लू जे० सी० नं० 8953/11 के आलोक में।

विनोद कुमार यादव के नियोजन सम्बन्धी प्रतिवेदन।

प्रसंग : भवदीय पत्रांक 359 दिनांक - 09/04/12

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन पूर्वक कहना है कि श्री विनोद कुमार यादव, पिता- श्री बनवारी राय, ग्राम- लाढ़पुर, पी०- गुरूकुल मेहिया, थाना- गड़खा, जिला- सारण का नियोजन दिनांक - 28/01/08 को हआ था। नियोजन सम्बन्धी नियुक्ति कार्यवाही की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न् है।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरपंच

ग्राम कचहरी महमदा।

ज्ञापांक 5 दिनांक 31.08.12

प्रतिलिपि :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरपंच

ग्राम कचहरी महमदा।

गड़खा सारण।"

11. प्रत्यर्थी संख्या 7 के विद्वान वकील ने आगे बताया कि योग्यता की कमी का सवाल कभी भी किसी के मामले में नहीं था और सी.डब्ल्यू.जे.सी में पारित 03.11.2009 दिनांकित आदेश के माध्यम से. 2009 की सी.डब्ल्यू.जे.सी संख्या 13839 और 2010 की सी.डब्ल्यू.जे.सी संख्या 1791, दिनांकित 30.08.2010 के आदेश के माध्यम से, यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि दिनांकित 05.01.2009 अधिसूचना में निर्धारित कट-ऑफ तिथि से पहले नियुक्त किए गए लोगों

को परेशान नहीं किया जाना था, लेकिन मध्यम योग्यता रखने वालों के संबंध में आदेश स्पष्ट एवं अर्हता थी। उसी तथ्य को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> "विधायी संशोधन को लागू करके 31.01.2008 से पहले "मध्यम" योग्यता के आधार पर आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए नियुक्ति पर विचार करने का कोई भी निर्देश पूरी तरह से कानून के विपरीत है। "

12. इस प्रकार प्रत्यर्थी सं. 7 द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थी सं.7 2009 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 1823 (विनोद कुमार यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य) में पारित आदेश के आधार पर इसे स्थगित कर दिया गया था। जिसे 2009 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6762 और अन्य समान मामलों के निर्देशों के अनुसार अपने मामले में निर्णय लेने के लिए 15.03.2010 पर निपटाया गया था। प्रत्यर्थी सं. 7 की समाप्ति स्थगित रखा जाना था जो पंचायती राज विभाग, बिहार के प्रधान सचिव द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश में विलय हो जाएगा। हालाँकि, दिनांकित 15.03.2010 के निर्देश के अनुसार कोई आदेश पारित नहीं किया गया, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 7 ने 2011 का एम. जे. सी. संख्या 805 दाखिल किया और अंततः ज्ञापन संख्या 3210 को प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार के हस्ताक्षर के तहत जारी दिनांक 27.04.2011, जिला मजिस्ट्रेट, सारण को उनके मामले के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, ज्ञापन संख्या 1421 में निहित अनुलग्नक-एच के माध्यम से खंड विकास अधिकारी, गरखा ने पंच, ग्राम कचहरी , महमूद को सूचित किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, श्री विनोद कुमार यादव की नियुक्ति की पुष्टि की जा रही है और यह भी निर्देश दिया कि उनकी नियुक्ति को अछूता रखा जाए और तदनुसार उचित निर्देश जारी किए जाएं। इस प्रकार, सरपंच ने दिनांक 20.03.2011 को एक बैठक बुलाई, जिसमें याचिकाकर्ता की नियुक्ति को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई (अनुलग्नक-I)। इस प्रकार उत्तरदाता सं. 7 द्वारा आग्रह किया गया था। कि इस मुद्दे को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अपील पूरी तरह से किसी भी योग्यता से रहित है और अपीलार्थी द्वारा तैयार किए गए कानून के बिंदु कानून के तय किए गए सिद्धांत के विपरीत हैं और मामले के प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों में भी कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

13. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है। अपीलार्थी की नियुक्ति के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 7 की नियुक्ति के संबंध में विभिन्न न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए कानून में जाने की आवश्यकता नहीं है जो सामने लाए गए हैं। किरण कुमारी (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून अपीलार्थी के दावे को निपटाने और अस्वीकार करने के लिए जाता है और हम अन्यथा विचार करने के लिए राजी नहीं होते हैं।

14. यह स्पष्ट है कि मामला अब 5 अप्रैल, 2011 को 2010 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.1996 (किरण कुमारी और अन्य बनाम बिहार राज्य) में तय किए गए खंड पीठ के फैसले से समाप्त हो गया है। एकमात्र मुद्दा जिसे हल करने की आवश्यकता है जिसे अपीलार्थी द्वारा अपने मामले को बचाने के लिए अंतिम बोली प्रयास के रूप में उठाया गया है, वह यह है कि अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 7 की नियुक्ति 8 फरवरी, 2008 को की गई थी, न कि 28.01.2008 को जो 31.01.2008 की कट-ऑफ तिथि से परे है। अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए इस तरह के तर्क को देखते हुए हमने प्रतिवादी संख्या 7 को नोटिस जारी करना आवश्यक समझा, जो पेश हुआ और जवाबी हलफनामा दायर किया।

15. हमने उन घटनाओं की श्रृंखला पर विस्तार से विचार किया है जिनके कारण प्रतिवादी संख्या 7 की नियुक्ति हुई और जो पेश हुए एवं जवाबी हलफनामा दाखिल किया। कार्यवाही पुस्तक में एक स्पष्ट अंतर्वेशन प्रतीत होता है। इस संदर्भ में, न्यायालय यह तथ्यों के विवादित प्रश्नों में नहीं जाता, बल्कि इस संबंध में प्रतिस्पर्धा की तारीख से पहले जारी किए गए पत्रों के रूप में काउंटर एफिडवेट से जुड़े अन्य पुष्टि करने वाले दस्तावेजों/साक्ष्य की उपलब्धता के लिए जाता। सरपंच द्वारा लिखे गए पत्र/कार्यवाही (अनुलग्नक-ए) से यह स्पष्ट है कि एक नंद किशोर को मिलने का समय दिया गया था और शामिल होने के लिए दस दिन का समय दिया गया था और यदि वह अपनी सहमति नहीं देता है, तो प्रस्ताव दूसरे उम्मीदवार को पत्र अनुलग्नक-ए में दिया जाएगा। उपरोक्त पत्र में कहा गया है कि उक्त नंद किशोर ने अपनी सहमति नहीं दी थी, बल्कि 21.01.2008 को, उन्होंने शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की थी और उसके बाद प्रतिवादी-याचिकाकर्ता विनोद कुमार यादव को अगले दस दिनों के भीतर शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था। यह पत्र दिनांकित 28.01.2008 (अनुलग्नक ए/1) है। तथापि, कार्यवाही पुस्तिका के प्रारंभिक वाक्य में कटौती प्रतीत

होती है और इस प्रकार अपीलार्थी दावा कर रहा है कि नियुक्ति 08.02.2008 को की गई थी न कि 28.01.2008 को। ग्राम कचहरी, महमदा, गरखा, सारण के सरपंच द्वारा विधिवत प्राप्त उसी तिथि पर प्रत्यर्थी संख्या 7 का 'सी' और 'डी' चिह्नित यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख कि याचिकाकर्ता का दावा दूरगामी है।

16. हमने महमूद के सरपंच द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 31.08.2012 दिनांकित अनुलग्नक-ई पर भी विचार किया है। उक्त पत्र में प्रत्यर्थी संख्या 7 की नियुक्ति की तारीख 28.01.2008 बताई गई थी। इस प्रकार नियुक्ति की तारीख में अंतर्वेशन के संबंध में कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होता है और इसका लाभ प्रत्यर्थी संख्या 7 के पक्ष में प्राप्त होगा।

17. विद्वान एकल ने इस प्रकार उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि रिट याचिकाकर्ता आवेदन की तारीख को नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं था और बाद में नियम के संशोधन से, वह प्रभावित नहीं हो सकती क्योंकि नियम 5 का संशोधन 05.01.2009 पर अधिसूचित होने के बाद ही लागू हुआ। उक्त संशोधन ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव 31.01.2008 से होगा, जिसका अर्थ है कि 31.01.2008 से पहले की गई नियुक्ति को बाधित होने से बचाया गया था।

18. इसके अलावा, हमारे सुविचारित विचार में, प्रत्यर्थी संख्या 7 की नियुक्ति, जिसके पास 2007 में शुरू हुए चयन के समय मैट्रिक की आवश्यक योग्यताएँ थीं, अपीलार्थी द्वारा परेशान नहीं की जा सकती हैं क्योंकि यह 28.01.2008 को किया गया था, अर्थात, पहले निर्धारित कट-आफ तिथि से पूर्व संशोधन द्वारा। इस प्रकार, तथ्यों पर भी, अपीलार्थी के पक्ष में कोई मामला नहीं है।

19. उपर्युक्त कारणों से और मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, जिसमें विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में कानून का प्रस्ताव शामिल है, हम पाते हैं कि अपील किसी भी योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

20. हम उसी के अनुसार निर्देश देते हैं। अभिलेख जमा किया गया।

(अमरेश्वर प्रताप साही, मुख्य न्यायाधीश)

(अंजना मिश्रा, न्यायमूर्ति)

सैफ/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।